न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 15/2020 जिला दौसा।

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल गोयल।

रामस्वरूप मौर्य पुत्र स्व0 श्री अर्जुन जाति रैगर निवासी मकान नम्बर–बी–6, विजय नगर–द्वितीय, करतारपुरा, जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. राम सहाय (मृतक)
1/2 लालाराम पुत्र स्व0 राम सहाय
1/2 पाचूराम पुत्र स्व0 राम सहाय
1/3 रामफूल पुत्र स्व0 राम सहाय
1/4 रामचन्द्र पुत्र स्व0 राम सहाय
2. ग्यारसा (मृतक)
2/1 रामधन पुत्र स्व. ग्यारसा
2/2 कालूराम पुत्र स्व. ग्यारसा
3. रामपाल (मृतक)
3/1 गंगाराम पुत्र स्व0 रामपाल
4. नारायण (मृतक)
4/1 टूठा पत्नि नारायण
4/2 सीताराम पुत्र स्व. नारायण
4/3 जयनारायण पुत्र स्व. नारायण
4/4 कालूराम पुत्र स्व. नारायण
5. धन्ना
6. मन्ना
7. श्योनाथ (मृतक)
7/1 रामकुंवार पुत्र स्व. श्योनाथ
7/2 गोपाल पुत्र स्व. श्योनाथ।
7/3 जम्बूरी पत्नि स्व. कैलाश
8. मुकुन्दा
पुत्रान जुत्था
9. बद्री पुत्र जनसी (मृतक)
9/1 शंकर
9/2 जगदीश
9/3 कल्याण
10. गोपी पुत्र मूलचन्द
11. हाबूड़या पुत्र सोनिया
समस्त जाति मीणा निवासीयान– ग्राम नांगल राजावतान, ढाणी नला वाली, तहसील दौसा जिला दौसा, राजस्थान।
12. तहसीलदार दौसा।
13. भू–सम्पदा अधिकारी व भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय नांगल राजावतान, जिला दौसा, राज.।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 10.09.1990 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम प्रार्थना पत्र संख्या 74/1989

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट एड. श्री हंसराज कुलदीप।
2. रेस्पोडेंट् संख्या 12 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक–07.09.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 10.09.1990 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 24.06.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक प्रार्थना पत्र रामसहाय बनाम सेवल्या में पारित निर्णय दिनांक 10.9.1990 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सेवाराम पुत्र बालूराम जाति रैगर निवासी नांगलराजावतान तहसील व जिला दौसा को दिनांक 15.05.1989 को पुराने आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 446, 445 भूमि तन ग्राम नांगल राजावतान तहसील व जिला दौसा किया गया आंवटन निरस्त किया गया।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.9.1990 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.1990 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट् की तलवी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 11 एवं 13 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने वहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट के दादा सेवला को आवंटन कमठी द्वारा दिनांक 15.05.1989 को पुराने खसरा नम्बर 362 रकवा 4 वीघा 9 विस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 445, 446 तन ग्राम नांगल राजावतान जिला दौसा आवंटित की गई थी। रेस्पोडेंटस द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुये अपीलांट् के दादा को आवंटित भूमि को मिलीभगत कर नियम 14(4) के तहत निरस्त करवा दिया गया। अपीलांट के दादा आवंटी सेवला को कोई नोटिस व सूचना जानकारी नही दी गई। सेवला की तामील वताई जाकर एकपक्षीय रूप से सुनवाई की जाकर आपेक्षित आदेश प्राप्त किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के दादा सेवला को आवंटी भूमि को नियम 14(4) के तहत निरस्त किया गया है, जवकि इस प्रकरण के संवंध में नियम 14(4) के प्रावधान लागू नही होते हैं। आवंटी को सिवायचक भूमि में से कुछ भूमि आवंटन कमेठी के द्वारा नियमानुसार रूप से आवंटित की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंटस द्वारा दिनांक 29.06.1995 को राम सहाय पुत्र जुत्था के हक में आवंटन होना कथित किया गया, जवकि रेस्पोडेंटस की ओर से स्वयं के आवंटन के संवंध में कोई आवंटन पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। सन 1965 को आवंटन माना भी जाये जो ऐसा स्पष्ट प्रतीत है कि आवंटी राम सहाय द्वारा आवंटन नियमो की पालना नही की गई जिसके कारण नियमानुसार रूप से आवंटी भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई और आवंटी राम सहाय की ओर से भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के संवध में कभी कोई आपत्ति नही की गई और नियमानुसार उक्त भूमि सिवायचक दर्ज होने के कारण पुनः आवंटन योग्य हो गई जिस कारण अपीलांट के दादा सेवला को नियमानुसार रूप से आवंटित की गई। रेस्पोडेंट द्वारा आवेदन 1989 में प्रस्तुत किया गया जवकि स्वयं का आवंटन सन् 1965 वताया गया जिससे सपष्ट है कि रेस्पोडेंट की ओर से जो कार्यवाही की गई है वह काफी विलम्व से प्रस्तुत की गई है। पूर्व आवंटी का मौके पर कब्जा होने या आंवटी संबंधी राजकीय राशि जमा कराने का कोई तथ्य संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विविध प्रावधानो एवं प्राकृतिक न्याय की अवहेलना की गई है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.1990 को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.09.1990 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 01.03.2019 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि रेस्पोडेंट् द्वारा सेवाराम पुत्र बालूराम जाति रैगर निवासी नांगलराजवतान तहसील व जिला दौसा को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पुराने आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 446, 445 तन ग्राम नांगलराजावतान तहसील व जिला दौसा भूमि का आवंटन दिनांक 15.05.1989 को किया गया है, को निरस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत पेश किया गया था, जिस पर अधीनस्थ अतिरिक्त न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.1990 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 29 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 में विलम्ब के जो कारण उल्लेखित किये गये है वे काल्पनिक तथा अस्पष्ट है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है कि उक्त विवादित भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने के कारण अवाप्ति की कार्यवाही की गई और प्रकरण की विवादित भूमि का मुआवजा रेस्पोडेंटस द्वारा प्राप्त करने की कार्यवाही किये जाने पर अपीलांट के भाई व ग्रामवासियो द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि के संबध में बताया गया जिस पर अपीलांट् द्वारा उक्त विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड निकलवाया तो उक्त विवादित भूमि रेस्पोडेंट् के नाम होना तथा अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.1990 की जानकारी हुई। उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 01.03.2019 को नकल प्राप्त की गई। यहां यह उल्लेखनिय है कि अपीलांट् का कथन है कि विवादित भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने के कारण अवाप्ति की कार्यवाही की गई और प्रकरण की विवादित भूमि का मुआवजा रेस्पोडेंटस द्वारा प्राप्त करने की कार्यवाही किये जाने पर अपीलार्थी के भाई व ग्रामवासियो द्वारा अपीलार्थी को उक्त भूमि के संबध में बताया गया जिस पर अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड निकलवाया जो उक्त भूमि रेस्पोडेंट् के नाम होने एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई है। उक्त तथ्य स्वीकार नही किया जा सकता है क्योकि अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 29 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा उक्त अवधि में अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी का अभाव हो यह संभव नही हैं। अपीलांट् द्वारा विलम्ब का कोई स्पष्ट एवं पर्याप्त कारण भी अंकित नही किया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र 05 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्य पर्याप्त एवं समुचित नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेंटस् द्वारा सेवाराम पुत्र बालूराम जाति रैगर निवासी नांगलराजवतान तहसील व जिला दौसा को पुराने आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 446, 445 तन ग्राम नांगलराजावतान तहसील व जिला दौसा का आवंटन दिनांक 15.05.1989 को किया गया है, को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत पेश किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन कर विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.1990 पारित कर सेवाराम पुत्र बालूराम जाति रैगर निवासी नांगलराजवतान तहसील व जिला दौसा को दिनांक 15.05.1989 को आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 446, 445 भूमि का किया गया आंवटन निरस्त किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.1990 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
दौसा

Scanned by CamScanner

हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील मियाद बाधित होने तथा गुणावगुण रहित होने के आधार पर हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.1990 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

7/9/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/9/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner